"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2019—अग्रहायण 8, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2019

क्रमांक ई 1-09/2018/एक-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03-10-2019 के सरल क्रमांक 3 में उल्लेखित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ 04–05/2019/चौबीस.–छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग द्वारा आदेश क्रमांक–1176 एच./जसंसं/2001, दिनांक 27 अप्रैल, 2001 के तहत् छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष नियम, 2001 बनाया गया था. उक्त नियम व समय–समय पर इस पर किये संशोधनों को विलोपित करते हुए राज्य शासन अब छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम, 2019 बनाता है.

छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम–2019

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :–**
   (क) यह नियम छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम, 2019 कहलायेगा.
   (ख) यह नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावशील होगा.
   (ग) यह नियम छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष नियम, 2001 का स्थान लेगा.

2. **नियम का कार्यक्षेत्र :–** छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम उन सभी संचार प्रतिनिधियों पर लागू होंगे, जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और जिनका कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ है.

3. **सहायता राशि :–** पत्रकारों के कल्याण के लिए शासन द्वारा आवंटित राशि से इन नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जायेगी.

4. **परिभाषाएँ :–** विषय और संदर्भ से यदि अन्य अर्थ न निकलता हो तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही होगा जो उनके सामने दर्शाया जा रहा है :–

   4.1 **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन.

   4.2 **"संचालक/आयुक्त"** से अभिप्रेत है आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय छत्तीसगढ़.

   4.3 **"संचार प्रतिनिधि"** से अभिप्रेत है कोई भी श्रमजीवी पत्रकार जैसा कि श्रमजीवी पत्रकार और गैर पत्रकार अधिनियम, 1955 में परिभाषित एवं समय–समय पर संशोधित किया गया हो, जिसका मुख्य जीविकोपार्जन का साधन प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक/वेबपोर्टल/न्यूज सर्विस में रिपोर्टिंग अथवा समाचार संपादन है तथा वह पूर्णकालिक या अंशकालिक या संविदा पर इस कार्य हेतु नियोजित हो और पत्रकारिता के अलावा जीविकोपार्जन का अन्य कोई साधन न हो. इसमें संपादक, उप संपादक, सहायक संपादक, संवाददाता, फोटोग्राफर, कैमरामैन, फोटो जर्नलिस्ट, स्वतंत्र पत्रकार शामिल हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे :–
      (अ) जो मुख्यतः प्रबंधन अथवा प्रशासकीय कार्य में नियोजित हो.

      (ब) जो पर्यवेक्षकीय कार्य में नियोजित हो या फिर उन्हें सौंपे गये दायित्वों का स्वरूप पर्यवेक्षकीय हो या प्रबंधकीय हो.

   4.4 **"परिवार"** से अभिप्रेत है यथास्थिति.
      (अ) पति/पत्नी.

      (ब) रोजगार प्राप्त करने की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक आश्रित पुत्र–पुत्री, जो भी पहले हो.

      (स) आश्रित माता–पिता जो आयकरदाता न हों, किसी संस्था से पेंशन प्राप्त न कर रहे हों अथवा किसी संस्था से चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ प्राप्त न कर रहे हों.

4.5 **"सेवानिवृत्त संचार प्रतिनिधि"** से अभिप्रेत है, ऐसे संचार प्रतिनिधि जो न्यूनतम 25 वर्ष की अंशकालिक/पूर्णकालिक पत्रकारिता पश्चात् किसी मीडिया संस्थान से सेवा निवृत्त हुए हों तथा जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो.

4.6. **"फोटोग्राफर"** से अभिप्रेत है कोई भी फोटोग्राफर जैसा कि श्रमजीवी पत्रकार और गैर पत्रकार अधिनियम, 1955 में परिभाषित एवं समय–समय पर संशोधित किया गया हो और पत्रकारिता में अंशकालिक अथवा पूर्णकालिक फोटोग्राफी के अलावा अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन न हो.

4.7 **"मीडिया संस्थान"** से अभिप्रेत है कोई भी प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया संस्थान जो दैनिक आधार पर शत्–प्रतिशत समाचार प्रकाशित/प्रसारित करता हो, साप्ताहिक, पाक्षिक/मासिक समाचार पत्र प्रकाशन जो राज्य से प्रकाशित होते हों तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया की दशा में राज्य में प्रसारित होते हों अथवा राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स जिनका समाचार प्रसारण राज्य के न्यूनतम 15 जिलों में होता हो.

4.8 इस नियम में प्रयुक्त शब्द/वाक्यांश जिनकी व्याख्या नहीं की गई है, उनका अर्थ वही होगा जैसा कि तत्समय में प्रचलित राज्य अधिमान्यता नियम में व्याख्यित किया गया हो.

5 छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति :–

5.1 "छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति" से अभिप्रेत है ऐसी समिति जिसका गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचार प्रतिनिधियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रकरणों में परामर्श देने के लिए किया गया है.

5.2 समिति के सदस्य – छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति में 11 संचार प्रतिनिधि, आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, सदस्य एवं संचार प्रतिनिधि कल्याण शाखा के प्रभारी, अपर संचालक/संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय सदस्य सचिव, इस प्रकार कुल 13 सदस्य होंगे. संचार प्रतिनिधियों में 08 सदस्य प्रिंट, 02 सदस्य इलेक्ट्रानिक तथा 01 सदस्य अन्य लोकप्रिय संचार माध्यम से होगा. समिति में संचार प्रतिनिधियों का मनोनयन राज्य शासन द्वारा इस प्रकार किया जाएगा, जिससे यथासंभव प्रदेश के सभी राजस्व संभाग और संचार माध्यमों का प्रतिनिधित्व हो सके. विशेष प्रकरणों में अभिमत हेतु समिति संचालक स्वास्थ्य शिक्षा को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेगी.

5.3 समिति का कार्यकाल – छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति का कार्यकाल राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष होगा तथापि ऐसी स्थिति में जबकि समिति का कार्यकाल पूरा हो गया हो, समिति तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक कि नई समिति का गठन नहीं हो जाता.

5.4 सदस्यता की समाप्ति – समिति के सदस्यों द्वारा सदस्यता से त्यागपत्र देने, संबंधित संस्थान से स्थानांतरित होने/सेवानिवृत्त होने/त्यागपत्र देने, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने अथवा ऐसे अन्य कारण जिसे शासन मान्य करें, सदस्यता समाप्त हो सकेगी.

5.5 समिति की बैठकें –

(अ) समिति की बैठकें एक वर्ष में न्यूनतम चार बार (प्रत्येक तिमाही में एक बार) तथा आवश्यकतानुसार कभी भी आयोजित की जा सकेगी.

(ब) समिति की बैठक आयोजित करने की सूचना सात दिन पूर्व जारी की जायेगी. आवश्यकता होने पर आपातकालीन बैठक 48 घण्टे की सूचना पर आयोजित की जा सकेगी.

6. सहायता की पात्रता :–

6.1 संचार प्रतिनिधि ने आर्थिक सहायता हेतु आवेदन करने के पूर्व न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा अवधि पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरी की हो.

6.2 संचार प्रतिनिधि ने आर्थिक सहायता के प्रकरण में इलाज के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना अथवा आयुष्मान योजना या तत्समय प्रचलित किसी अन्य योजना से निःशुल्क इलाज सुविधा प्राप्त न की हो.

6.3 ऐसे संचार प्रतिनिधि जिनका मासिक वेतन समस्त परिलब्धियों सहित रू. 50 हजार से कम है वे सभी प्रकार के प्रकरणों की आर्थिक सहायता हेतु आवेदन कर सकेंगे.

6.4 ऐसे संचार प्रतिनिधि जिनका मासिक वेतन समस्त परिलब्धियों सहित रू. 50 हजार से अधिक किन्तु रू. 1 लाख से कम है, वे न्यूनतम 3 दिवस हॉस्पिटलाइजेशन अथवा रू. 25 हजार से अधिक चिकित्सा देयक होने पर अथवा मृत्यु की दशा में ही सहायता हेतु पात्र होंगे.

6.5 समस्त परिलब्धियों सहित रू. 1 लाख मासिक से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले संचार प्रतिनिधि गंभीर बीमारी यथा हृदय रोग, किडनी रोग, लीवर रोग आदि से पीड़ित होने पर, 5 दिवस से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन अथवा रू. 50 हजार से ज्यादा चिकित्सा देयक होने पर अथवा मृत्यु की दशा में ही सहायता के पात्र होंगे.

6.6 ऐसे श्रमजीवी पत्रकार, जिनकी आय रू. 2.00 लाख प्रतिमाह से ज्यादा है, छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता से आर्थिक सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे. हालांकि आकस्मिक मृत्यु की दशा में आर्थिक सहायता पर विचार किये जाने के समय पूरे परिवार की सम्पूर्ण आय का ध्यान रखा जायेगा.

7. सहायता देने की परिस्थितियां :– छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता कोष से आर्थिक सहायता निम्न स्थितियों में दी जा सकेगी :–

7.1 कण्डिका 4.3 एवं 4.4 में उल्लेखित प्रतिनिधियों अथवा उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों को दीर्घ या गंभीर बीमारी या दुर्घटना में आहत होने पर इलाज के लिए.

7.2 किसी दैवी विपत्ति से पीड़ित होने पर.

7.3 संचार प्रतिनिधि के रूप में छत्तीसगढ़ में न्यूनतम 25 वर्ष की पत्रकारिता और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद निराश्रित होने या वृद्धावस्था में विपन्नता के कारण.

7.4 सेवारत संचार प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाने पर यदि उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों की आजीविका का अन्य कोई साधन न हो.

7.5 संचार प्रतिनिधियों को प्राकृतिक या आकस्मिक विपत्ति जैसे आगजनी आदि प्रकरणों में आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। "यदि कोई श्रमजीवी पत्रकार किसी प्राकृतिक विपत्ति जैसे आगजनी, वाहन दुर्घटना, आकस्मिक रूप से सम्पत्ति का नुकसान आदि, किसी दुर्घटना का शिकार होता है अथवा जन आंदोलनों/दंगों/बाढ़ में समाचार कवरेज करते समय पत्रकार/कैमरामैन का व्यक्तिगत कैमरा आदि उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने पर."

8. आर्थिक सहायता की वित्तीय सीमा :– पत्रकार कल्याण सहायता राशि से संचार प्रतिनिधि अथवा आश्रित परिवार के सदस्यों को एक वर्ष में न्यूनतम 10 हजार और अधिकतम 2.00 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जा सकेगी. आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी :–

8.1 छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता समिति की अनुशंसा पर आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क अधिकतम राशि रूपए 2.00 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर सकेंगे.

8.2 आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा समिति की दो बैठकों के अंतराल में जो तीन माह से अनाधिक होगा, गंभीर बीमारी/दुर्घटना/मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाएं, जिसमें तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, संतुष्ट होने पर अपनी वित्तीय सीमा तक सहायता राशि स्वीकृत कर सकेंगे. ऐसे प्रकरण समिति की अगली बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन अथवा शेष राशि पर विचार हेतु अनिवार्यतः रखे जायेंगे.

8.3 विशेष परिस्थितियों में संचार प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने में एवं अन्य वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाने की दशा में आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय को यह समाधान होने पर कि संचार प्रतिनिधि को आर्थिक सहायता की तात्कालिक आवश्यकता है, अपनी वित्तीय सीमाओं के भीतर आवश्यक आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी. ऐसे प्रकरण समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखे जाएंगे.

8.4 आर्थिक सहायता की वित्तीय सीमा –

सरल क्र.	प्रकरण का प्रकार	आर्थिक सहायता की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	पत्रकार की मृत्यु	(अ) एकमुश्त अधिकतम राशि रू. 2.00 लाख **अथवा** (ब) अधिकतम राशि रू. 1.00 लाख तथा रू. 3000 प्रतिमाह पेंशन आगामी 3 वर्ष तक वैध उत्तराधिकारी को. **अथवा** (स) अधिकतम 2 बच्चों को रू. एक हजार प्रतिमाह की ट्यूशन फीस कक्षा दसवीं तक, रू. 1500/– प्रतिमाह कक्षा बारहवीं तक तथा स्नातक शिक्षा (03 वर्ष के लिए) के लिए प्रतिमाह रू. 2000/–. आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि संबंधित बच्चा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कक्षा उत्तीर्ण कर रहा हो. **अथवा** (द) अधिकतम राशि रू. 1.00 लाख की तात्कालिक सहायता एवं आश्रित एक बच्चे के उच्च शिक्षा के लिये अधिकतम रू 1.00 लाख रूपए. (आश्रित परिवार की इच्छानुसार उपरोक्त में कोई एक विकल्प)
2.	स्थाई विकलांगता जिससे पत्रकार जीवकोपार्जन करने में असमर्थ हो (40 प्रतिशत से अधिक की विकलांगता)	अधिकतम राशि रू. 2.00 लाख
3.	घातक Injury (चोट जिसमें स्थाई विकलांगता न हो किन्तु चोट की Recovery के लिए एक माह से अधिक Hospitalisation आवश्यक हो.)	अधिकतम राशि रू. 2.00 लाख
4.	गंभीर बीमारियां	अधिकतम राशि रू. 2.00 लाख तक. यह चिकित्सा व्यय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान योजना या तत्समय प्रचलित अन्य कोई स्वास्थ्य योजना से न हो.
5.	छोटी Injury जिसमें न्यूनतम 3 दिन तक का Hospitalisation हो.	चिकित्सा का वास्तविक व्यय अथवा अधिकतम रू. 50,000/– जो भी कम हो.

(1)	(2)	(3)
6.	कैमरे अथवा अन्य उपकरण का नुकसान.	अधिकतम राशि रू. 50,000/– अथवा क्षतिग्रस्त वस्तु का वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो.

8.5 मृत्यु की दशा में आर्थिक सहायता राशि पत्रकार की विधवा–विधुर को, पत्नी–पति के दिवंगत होने पर आश्रित बच्चों को और संचार प्रतिनिधि के अविवाहित होने अथवा पत्नी–बच्चे के न होने पर उसके आश्रित माता–पिता को दी जायेगी.

8.6 देहावसान की दशा में आर्थिक सहायता हेतु दिवंगत पत्रकर की पत्नी/पति शासकीय सेवा में न हो अथवा अन्य किसी स्रोत से आय होने पर आयकरदाता न हो.

8.7 आर्थिक सहायता में राशि गणना के लिए सामान्यतः प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना/आयुष्मान योजना अथवा तत्समय में प्रचलित अन्य स्वास्थ्य योजना के तहत् लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय–समय पर विभिन्न उपचारों हेतु निर्धारित दरों को आधार माना जायेगा.

8.8 **अपवाद –** पत्रकार कल्याण समिति विशेष प्रकरणों/अपवाद दशा अधिक राशि की अनुशंसा या नियमों में शिथिलता या विशेष सहायता की अनुशंसा कर सकेगी.

9. सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :–

9.1 सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर स्वयं अथवा उस पर आश्रित परिवार के सदस्य को आवेदन करना होगा.

9.2 अशक्त होने के कारण सहायता प्राप्त करने के इच्छुक संचार प्रतिनिधि अथवा उसके आश्रितों को निकट से जानने वाले दो पत्रकार उनकी ओर से आवेदन कर सकेंगे. इस आवेदन पत्र पर क्रियाशील पत्रकार कल्याण सहायता समिति के दो सदस्यों की अनुशंसा आवश्यक होगी.

9.3 **आवेदन पत्र में आवश्यक अभिलेख :–**

9.3.1 दुर्घटना में मृत्यु की दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आंशिक अथवा पूर्ण विकलांगता की दशा में तत्संबंधी प्रमाण पत्र, उपचार पर्ची तथा दवाइयों के देयक जो मेडिकल आफिसर/हेल्थ आफिसर/अस्पताल से प्रमाणित हो.

9.3.2 संचार प्रतिनिधियों अथवा उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों को प्राणघातक रोगों जैसे कैंसर, हृदय की बायपास सर्जरी/एन्जियोप्लास्टी, न्यूरो सर्जरी जैसे गंभीर रोगों के उपचार हेतु सहायता के प्रकरणों में डीन मेडिकल कॉलेज, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, संचालक स्वास्थ्य (चिकित्सा शिक्षा) अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर पत्रकार कल्याण समिति की सहमति से आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क द्वारा ऐसे प्रकरणों में उपचार के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी. गंभीर बीमारियों के प्रकरणों में, इस प्रयोजन के लिए रोगी को सरकारी अथवा लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इन्डोर रोगी के रूप में इलाज कराया जा रहा हो या कराया जाता हो.

9.3.3 संचार प्रतिनिधि को बीमारी के इलाज के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए बीमारी, चिकित्सालय में भर्ती होने, दवाओं आदि की खरीदी पर यह व्यय के प्रमाण शासकीय चिकित्सालय के मेडिकल सुपरिन्डेंटेड/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा.

9.3.4 सहायता राशि 20,000/– से अधिक होने पर संबंधित अस्पताल के चिकित्सक अथवा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट से वास्तविक इलाज का प्राक्कलन (एस्टीमेंट) प्राप्त होने पर स्वीकृत राशि का बैंक ड्राफ्ट सीधे संबंधित चिकित्सालय के नाम भेजा जायेगा. इसके पूर्व रोगी को भर्ती दवा खरीदी के देयक एवं अन्य जांच के देयक प्रस्तुत करने होंगे.

9.3.5 संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता कोष से स्वीकृत राशि को निरस्त किया जा सकता है, यदि यह पाया जाता है कि आर्थिक सहायता प्राप्ति के किये कपटपूर्ण अथवा गलत जानकारी दी गई है. संबंधित दोषी संचार प्रतिनिधि के विरूद्ध इस कृत्य पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी.

9.3.6 संस्था के संपादक का अनुशंसा पत्र.

9.3.7 संपादक का अनुशंसा एवं सम्पूर्ण प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर वांछित अभिलेख सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित जिला जनसम्पर्क कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा.

9.3.8 संबंधित जिला जनसम्पर्क अधिकारी आर्थिक सहायता आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर संचार प्रतिनिधि के आवेदन का परीक्षण कर अनुशंसा सहित आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय को अग्रेषित करेंगे, जिसकी सूचना संबंधित आवेदन संचार प्रतिनिधि को भी दी जायेगी, जिस पर समिति की अगली बैठक में विचार किया जायेगा।

10. **निर्णय :–** प्राप्त आवेदन पत्रों पर संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता समिति की अनुशंसा/निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

11. **व्याख्या :–** इन नियमों के व्याख्या के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क का मत अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

12. **सामान्य :–** इन नियमों के तहत् आर्थिक सहायता प्राप्त करना श्रमजीवी पत्रकार का अधिकार नहीं है. समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर विचारोपरांत की गई अनुशंसा राज्य शासन की स्वीकृति तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी. राज्य शासन का यह विशेषाधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए किसी प्रकरण को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करें.

13. **विविध :–**

13.1 संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता से आर्थिक सहायता हेतु आश्रित माता–पिता उन्हें ही माना जायेगा, जिसकी लिखित जानकारी संचार प्रतिनिधि ने अपने नियोक्ता संस्थान को दी होगी.

13.2 मृत्यु की दशा में आर्थिक सहायता मात्र कार्यरत संचार प्रतिनिधि के आश्रित परिजनों को ही प्राप्त होगी.

13.3 क्षतिग्रस्त कैमरे अथवा अन्य उपकरण हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु कैमरा/उपकरण आवेदक के व्यक्तिगत स्वामित्व का होना अनिवार्य होगा.

13.4 छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता से आर्थिक सहायता हेतु उन्हीं वेब पोर्टल के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे, जो अधिमान्यता नियमों के तहत् पात्र हों.

13.5 आर्थिक सहायता हेतु राज्य के बाहर से प्रसारित हिंदी टीवी न्यूज चैनल्स (प्रादेशिक न्यूज चैनल मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ को छोड़कर) एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाई न्यूज चैनल्स की दशा में संबंधित न्यूज चैनल के संवाददाता के नियोजन प्रकार, उसका राज्य के जिलों में प्रसारण, लोकप्रियता एवं अन्य मापदण्डों पर भी विचार किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2019

क्रमांक 3228/PSLAN/3723/21-ब/छ.ग./2019.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 5 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि नियम 5(1) (ख) के अन्तर्गत सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के लिये उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा."

2. नियम 5 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परंतु यह और भी कि नियम 5(1)(क) एवं 5(1)(ख) के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के लिये मौखिक परीक्षा में अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना होगा तथा नियम 5(1)(ग) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिये जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित हों, को मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 25% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा."

3. नियम 9 के उप-नियम (2) में, शब्द "राज्य न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान" के स्थान पर, शब्द "छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. 3228/PSLAN/3723/XXI-B/C.G./2019.—In exercise of the powers conferred by Article 233 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High, Court of Chhattisgarh hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 namely :—

AMENDMENT

In the said rules, —

1. After proviso of clause (b) of sub-rule (1) of rule 5, the following shall be inserted, namely :—

"Provided further that a candidate appearing for promotion through limited competitive examination under Rule 5(1)(b) shall be required to secure minimum 50% marks in the written examination."

2. After proviso of clause (c) of sub-rule (1) of rule 5, the following shall be inserted, namely :—

"Provided also that candidates have to secure minimum 33% marks in the viva-voce for District Judge (Entry Level) under Rule 5(1)(a) and 5(1)(b) and candidates belonging to unreserved category of District Judge (Entry Level) by direct recruitment under Rule 5(1)(c) have to secure minimum 33% marks in the viva-voce and those belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes shall be required to secure minimum 25% marks in the viva-voce."

3. In sub-rule (2) of rule 9, for the words "State Judicial Officer Training Institute", the words "Chhattisgarh State Judicial Academy" shall be substituted.

नवा रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2019

क्रमांक 3230/PSLAN/3723/21-ब/छ.ग./2019.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 5 के उप-नियम (1) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि सीधी भर्ती के लिये, अनारक्षित संवर्ग से संबंधित अभ्यर्थी को, मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना होगा तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 25% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा."

2. नियम 11 के उप-नियम (2) में, शब्द "राज्य न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान" के स्थान पर, शब्द "छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. अनुसूची-एक में,—

(एक) चिन्ह एवं शब्द "(एक) प्रारंभिक परीक्षा (दो)" के पश्चात्, शब्द "अंतिम परीक्षा" के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह "मुख्य परीक्षा (लिखित)" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) पैरा (ख) में, शब्द "अंतिम परीक्षा" के स्थान पर, शब्द "मुख्य परीक्षा (लिखित)" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(तीन) पैरा (ग) में, शब्द "अंतिम परीक्षा" के स्थान पर, शब्द "मौखिक परीक्षा" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. 3230/PSLAN/3723/XXI-B/C.G./2019.—In exercise of the powers conferred by Article 234 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High, Court of Chhattisgarh and Chhattisgarh Public Service Commission, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 namely :—

AMENDMENT

In the said rules, —

1. After proviso of sub-rule (1) of Rule 5, the following shall be inserted, namely :—

"Provided also that for direct recruitment a candidate belonging to unreserved category has to secure minimum 33% marks in the viva-voce and those belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes shall be required to secure minimum 25% marks in the viva-voce."

2. In sub-rule (2) of Rule 11, for the words "State Judicial Officer Training Institute", the words "Chhattisgarh State Officer Training Institute", the words "Chhattisgarh State Judicial Academy" shall be substituted.

3. In Schedule-I,—

(i) after the symbol and words "(i) Preliminary Examination, (ii),", for the words and symbol "Final Examination", the words and symbol "Main Examination (Written)" shall be substituted;

(ii) in para (b), for the words "Final Examination", the words and symbol "Main Examination (Written)" shall be substituted; and

(iii) in para (c), for the words "Final Examination", the words "viva-voce" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANEESH KUMAR THAKUR, Additional Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ 1-28/2019/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 43 के प्रथम परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ भू-संपदा अपीलीय अधिकरण की स्थापना एवं गठन होने तक, छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण को इसी अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए अपीलीय पदाभिहित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोसकर विलास संदिपान, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ 7-11/2017/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सिद्धार्थ तिवारी (भापुसे 2015), अति. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा, छ.ग. को दिनांक 30 सितम्बर 2019 से 11 अक्टूबर 2019 (कुल 12 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 29 सितम्बर 2019 एवं 12, 13 अक्टूबर 2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तिवारी (भापुसे) आगामी आदेश तक, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा, छ.ग. के पद पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री तिवारी (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2019

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/6457/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	आतरगांव प.ह.नं. 20	1.368 हे.	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 26-10-2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन आतरगांव पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	14
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	उक्त डूबान निर्माण से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाए किए जा रहे हैं.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2019

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/6459/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	छछानपहरी प.ह.नं. 20	0.121 हे.	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 24-10-2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन छछानपहरी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	उक्त डूबान निर्माण से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाए किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2019

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/6461/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	गोर्राटोला प.ह.नं. 21	0.469 हे.	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 17-10-2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन गोर्राटोला पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	12
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	उक्त डूबान निर्माण से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाए किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2019

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/6463/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	मोहड़ प.ह.नं. 23	0.191 हे.	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 31-10-2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन बुटाकसा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	03
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	उक्त डूबान निर्माण से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाए किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2019

प्रारूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/6465/भू–अर्जन/2019.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	बहोरनभेडी प.ह.नं. 19	0.089 हे.	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 21–10–2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन बहोरनभेडी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	उक्त डूबान निर्माण से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाए किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2019

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/6552/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	मोहड़ प.ह.नं. 23	1.278 हे.	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत एस्केप चैनल निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 21-10-2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन बुटाकसा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत एस्केप चैनल निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	16
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	उक्त डूबान निर्माण से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाए किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयप्रकाश मौर्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50/06/अ-82/वर्ष 2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	पथर्री	12.74	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	टेंगनाही डोंगर जलाशय योजना अंतर्गत शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51/08/अ-82/वर्ष 2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	बोरियाझर	1.11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	टेंगनाही डोंगर जलाशय योजना अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 52/14/अ-82/वर्ष 2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	बिहावझोला	0.46	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पीपरछेड़ी जलाशय योजना के मुख्य नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 53/10/अ-82/वर्ष 2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	करकरा	2.36	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पीपरछेड़ी जलाशय योजना अंतर्गत माइनर नहर नाली निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 54/12/अ-82/वर्ष 2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	खड़मा	5.36	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पीपरछेड़ी जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 55/13/अ-82/वर्ष 2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	मड़ेली	16.05	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पीपरछेड़ी जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 56/07/अ-82/वर्ष 2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	पथर्री	0.12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	टेंगनाही डोंगर जलाशय योजना अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 57/11/अ-82/वर्ष 2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	कुरेकेरा	1.25	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पीपरछेड़ी जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 58/09/अ-82/वर्ष 2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	रानीपरतेवा	1.66	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पीपरछेड़ी जलाशय योजना अंतर्गत माईनर नहर नाली निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्याम धावड़े, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 23 सितम्बर 2019

क्रमांक/303/अ.वि.अ./भू-अर्जन/08 अ/82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	रूमेकेल प.ह.नं. 6/10	1.13	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 23 सितम्बर 2019

क्रमांक/304/अ.वि.अ./भू-अर्जन/07 अ/82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	बरेकेल प.ह.नं. 16	0.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 23 सितम्बर 2019

क्रमांक/305/अ.वि.अ./भू-अर्जन/06 अ/82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	तेन्दुवाही प.ह.नं. 16	1.17	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 सितम्बर 2019

क्रमांक/310/क/अ.वि.अ./भू.अ./01/अ-82/वर्ष 2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12(2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	बांजीबहाल	3.55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	बेन्दरीनाला व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 सितम्बर 2019

क्रमांक/311/क/अ.वि.अ./भू.अ./02/अ-82/वर्ष 2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12(2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	घुचापाली	1.57	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	बेन्दरीनाला व्यपवर्तन योजना के बांयी नहर निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 सितम्बर 2019

क्रमांक/312/क/अ.वि.अ./भू.अ./03/अ-82/वर्ष 2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12(2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	बेलटीकरी	0.52	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	बेन्दरीनाला व्यपवर्तन योजना के दांयी नहर निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 10 अक्टूबर 2019

क्रमांक/321/क/भू.अर्जन/2019/21-अ/82, 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12(2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	सुखापाली प.ह.नं. 41	2.77	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	सिंगबहाल जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्रमांक/431/क/अ.वि.अ./भू.अर्जन/10/अ-82/वर्ष 2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12(2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	परसकोल	1.68	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	दाऊगुड़ी व्यपवर्तन योजना के दांयी एवं बांयी तट नहर निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 28 सितम्बर 2019

क्रमांक 313/क/अविअ./भू.अ./09/अ-82 वर्ष 17-18.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुंद
(ख) तहसील-सरायपाली
(ग) नगर/ग्राम-दाऊगुढ़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
116/4	0.08
286/3	0.02
260/6	0.03
131/1	0.01
92	0.05
130	0.03
252	0.03
276	0.06
273	0.02
256	0.04
81/1	0.01
131/2	0.02
289	0.05
116/3	0.01
255	0.04
257/1	0.01
81/2	0.01
251	0.02
116/1	0.01

	(1)	(2)
	81/3	0.01
	73	0.01
	117	0.03
	75/3	0.01
	118	0.01
	110	0.13
	107	0.08
	72	0.02
	71	0.08
	67	0.02
	75/1	0.04
	74/1	0.03
	75/2	0.02
	278	0.07
योग	33	1.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–दाऊगुढ़ी व्यपवर्तन योजना के दांयी एवं बांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2019

प्रकरण क्रमांक/क/भू-अर्जन अधि./रीडर-1/14-अ/82/2019/851.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–बिलासपुर
- (ख) तहसील–पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम–भदौरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–3.171 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	20	0.077
	2/1	0.219
	19/2	0.121
	145/5	0.056
	179/1ख	0.052
	2/4	0.105
	8/1, 8/2	0.109
	14	0.004
	3/2	0.105
	6	0.004
	3/1	0.004
	12	0.069
	11/1	0.113
	13/1	0.004
	13/2	0.004
	13/3	0.004
	11/2, 11/3	0.121
	142	0.105
	10/2	0.036
	143/1	0.057
	143/2	0.081
	146/1	0.077
	145/2	0.109
	145/3	0.049
	145/1	0.085
	176/2	0.049
	176/4	0.044
	176/1	0.052
	176/3	0.101
	180, 181, 182/1, 185	0.433
	5	0.109
	139/1	0.012
	146/2	0.113
	179/2	0.097
	179/3	0.016
योग	37	3.171

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–पेण्ड्रा बायपास मार्ग निर्माण कार्य के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2019

प्रकरण क्रमांक/क/भू-अर्जन अधि./रीडर-1/10-अ/82/2019/853.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-अड़भार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.881 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
385	0.170
386	0.133
376/1	0.069
371/1	0.032
374	0.008
375/2	0.158
375/3	0.234
390/2	0.109
391	0.053
357	0.162
287/3	0.053
287/4	0.045
287/5	0.040
287/6	0.004
287/7	0.105
285/3	0.154
708	0.247
709/1	0.101
712/1	0.061
709/2	0.040
744/1	0.008
712/2	0.235
784	0.036
781/2	0.170
781/3	0.057
781/1क	0.032
781/1ख	0.109
285/1	0.040
285/2	0.117
285/5	0.020
286	0.150
183	0.129
267	0.283
268/2	0.061
248/1	0.085
248/2	0.073
248/4	0.142
248/5	0.036
248/6	0.004
246/3	0.004
243/2	0.008
247	0.049
1022/1	0.081
245/2	0.129
186	0.218
781/1घ	0.105
781/1ड	0.146
813	0.065
814	0.162
833/2	0.004
818/2	0.069
818/4	0.053
818/5	0.020
834	0.097
832/3	0.105
835	0.028
869/1	0.061
836	0.198
837/1	0.012
831/2	0.320
839	0.267
842	0.251
713/1	0.028
184	0.049
163/1	0.008
782/1	0.073
838	0.016
651/8	0.008
651/1	0.057
651/3	0.040
651/4	0.004
651/7	0.069

	(1)	(2)
	871	0.093
	878/1	0.113
	707	0.004
	375/1	0.137
	244/4	0.040
	244/7	0.077
	869/5	0.004
	869/3	0.129
	869/4	0.085
	873	0.113
	867/1	0.081
	867/2	0.182
	866	0.251
योग	85	7.881

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–पेण्ड्रा बायपास मार्ग निर्माण कार्य के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2019

प्रकरण क्रमांक/क/भू–अर्जन अधि./रीडर–1/12–अ/82/2019/855.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–बिलासपुर
- (ख) तहसील–पेण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम–कुड़कई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–0.529 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18/1, 18/2	0.040
19	0.024
22	0.154
23	0.178
24	0.004
25	0.040
26	0.085
20	0.004
योग 9	0.529

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–पेण्ड्रा बायपास मार्ग निर्माण कार्य के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2019

प्रकरण क्रमांक/क/भू–अर्जन अधि./रीडर–1/8–अ/82/2019/857.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–बिलासपुर
- (ख) तहसील–पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम–सेमरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–1.070 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36/3	0.024
36/4	0.081
36/29	0.024
36/8	0.052
36/27	0.020
199/1	0.069
36/15	0.194
36/2	0.032

(1)	(2)
36/20	0.024
36/12	0.041
36/10	0.024
36/11	0.032
197	0.344
200	0.069
198	0.040
योग 15	1.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–पेण्ड्रा बायपास मार्ग निर्माण कार्य के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2019

प्रकरण क्रमांक/क/भू–अर्जन अधि./रीडर–1/15–अ/82/2019/859.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–बिलासपुर
- (ख) तहसील–पेण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम–पेण्ड्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–17.138 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2845	0.089
2847	0.129
2844	0.178
2848	0.113
2849	0.028
2843/1	0.138
2850	0.089
2851/1	0.344
2808	0.020
2852	0.482
2853	0.016
2807	0.040
2809/3	0.012
2795	0.138
2773	0.150
2801	0.121
2797	0.267
2798	0.150
2777	0.069
2776	0.036
2775	0.073
2774/2	0.486
2770	0.227
2768/1	0.182
2769	0.101
592/10	0.146
592/2	0.020
592/1	0.049
590/2	0.008
591	0.206
589	0.287
585	0.016
586	0.121
587	0.121
528/1	0.178
528/5	0.028
528/3	0.239
528/4	0.053
579/4	0.093
530	0.202
1163	0.255
532	0.097
578/4	0.158
578/1	0.016
578/5	0.028
578/2	0.093
578/3	0.016
578/6	0.016
531	0.045
1451	0.336
1367/2	0.429
1450/4	0.061
533	0.239
534	0.053

(1)	(2)
568	0.121
570/1	0.170
570/2	0.125
1846/5, 1846/7	0.239
1847/2	0.004
567	0.036
566/3	0.146
780/2	0.437
721/2	0.057
765	0.057
766	0.032
1436	0.146
763	0.045
837	0.069
820	0.105
947	0.125
948	0.206
936/8	0.004
945/2	0.214
944/1	0.255
939	0.453
940/3	0.040
1033	0.336
1030	0.235
1029	0.291
1836/1	0.004
1836/2	0.004
1432/1	0.073
1837	0.117
1431	0.283
1838/1	0.057
1841/5, 1841/6	0.053
1841/9, 1841/10	0.065
1846/1, 1846/3, 1846/4	0.206
1847/1	0.138
1846/6, 1846/8	0.202
1873/2	0.239
1873/4	0.239
1873/5	0.312
1873/6	0.065
1432/2	0.081
1874/1	0.182
1874/2	0.121
1433	0.202
1620	0.004
1435/1	0.057
1439/2	0.243
1435/2	0.073
1436	0.036
1469/1	0.008
1439/1	0.073
1439/3	0.049
1439/4	0.040
1439/5	0.089
1440	0.129
1618/4	0.004
1452/1	0.093
1453/1	0.101
1453/2	0.109
1443	0.012
1452/2	0.016
1452/3	0.089
1450/2	0.125
1470/1	0.198
1450/3	0.235
1363	0.275
1181/4	0.134
1165	0.134
1166	0.057
1160	0.020
1175	0.182
1161	0.032
1159	0.194
1174	0.085
1173	0.045
1176	0.105
1177	0.069
1178	0.049
1179	0.024
1180	0.069
योग 140	17.138

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–पेण्ड्रा बायपास मार्ग निर्माण कार्य के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2019

प्रकरण क्रमांक/क/भू-अर्जन अधि./रीडर-1/11-अ/82/2019/861.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-अमरपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.588 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
939/1, 939/2	0.040
938/1, 938/2	0.012
937/1, 937/2	0.117
936/1, 932	0.109
930	0.053
931/1	0.069
931/2	0.129
929	0.053
931/3	0.065
904/3	0.129
933/2	0.125
928	0.081
909/1	0.016
904/2	0.150
909/3	0.129
905	0.097
906	0.142
907	0.081
839	0.024
514	0.032
838	0.073
524	0.012
527/3	0.109
837/2	0.117
523/1	0.239
522	0.065
521/2, 521/5	0.105
521/6	0.049
519	0.065
542/1	0.057
542/2	0.004
518	0.016
545	0.146
512/1	0.036
547/2	0.150
548/1	0.020
512/2	0.032
550/3	0.028
548/2	0.093
549/1	0.024
550/2	0.040
550/1	0.061
551/1	0.146
551/2	0.089
555/7	0.251
554/2	0.125
557	0.004
559/1	0.113
558	0.057
476	0.121
477	0.085
560/1	0.117
573/1	0.077
462/2	0.166
573/3	0.065
484/1, 484/2	0.202
481	0.069
480/2	0.085
460/1	0.158
480/3	0.138
478	0.150
479/1, 479/3	0.073
479/2	0.089
438	0.134
463	0.413
447	0.061
461/1	0.024
448	0.129
449	0.040
461/4	0.032
461/2	0.194
461/3	0.024
460/3	0.077
458	0.150

(1)	(2)
459	0.227
910/4	0.028
837/5, 837/6, 837/7	0.186
837/8, 837/9, 837/10, 837/11	0.117
837/1, 837/3	0.085
योग 92	7.588

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–पेण्ड्रा बायपास मार्ग निर्माण कार्य के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2019

प्रकरण क्रमांक/क/भू–अर्जन अधि./रीडर–1/13–अ/82/2019/864.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–बिलासपुर
- (ख) तहसील–पेण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम–बंधी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–3.782 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.012
7	0.016
10	0.146
11	0.134
13	0.283
15	0.089
16/1	0.077
16/2	0.151
18	0.024
31	0.158
32/2	0.069
33/1	0.089
39/1	0.053
42	0.036
33/2	0.084
41/1	0.134
41/5	0.032
58/2	0.008
59/2	0.105
43	0.263
44	0.239
45	0.093
58/1	0.162
61/1	0.158
61/2	0.134
83/1	0.032
84/1	0.084
84/2	0.089
85	0.081
86/2	0.024
87/4	0.049
96/1	0.219
87/7	0.016
96/2	0.202
95/3	0.020
95/2	0.036
94/2	0.028
110/1	0.069
111	0.084
योग 39	3.782

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–पेण्ड्रा बायपास मार्ग निर्माण कार्य के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.